भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/पीएन/53/2015 दिनांक: 9 सितंबर, 2015

प्रेस नोट

विषय: बिहार राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन हेतु अनुसूची – तत्संबंधी।

बिहार की विधान सभा के कार्यकाल का सामान्य रूप में 29.11.2015 को अवसान होना निर्धारित है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 172 (1) के साथ पठित अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अंतर्गत अपनी शक्तियों, कर्तव्यों और प्रकार्यों के नाते, आयोग के लिए बिहार राज्य की विधान सभा के वर्तमान कार्यकाल का अवसान होने से पहले नई विधान सभा का गठन करने के लिए निर्वाचनों का आयोजन करना अपेक्षित है।

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

बिहार राज्य में विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल संख्या और परिसीमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत परिसीमन आयोग द्वारा यथा-निर्धारित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें नीचे दी गई हैं:-

राज्य	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
बिहार	243	38	2

(2) निर्वाचक नामावलियां

1.1.2015 की अर्हक तिथि के संदर्भ में संशोधित निर्वाचक नामावलियों के आधार पर बिहार राज्य में सभी मौजूदा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां

31.07.2015 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। 07.09.2015 की स्थिति के अनुसार राज्य में निर्वाचकों की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	निर्वाचकों की कुल संख्या
बिहार	66826658

(3) <u>फोटो निर्वाचक नामावलियां</u>

आगामी साधारण निर्वाचनों के दौरान राज्य में फोटो निर्वाचक नामावलियों का इस्तेमाल किया जाएगा और राज्य की फोटो निर्वाचक नामावलियों में फोटो की प्रतिशतता नीचे दी गई है:-

राज्य	फोटो निवार्चक नामावलियों की प्रतिशतता
बिहार	99.98

(4) <u>निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक)</u>

मतदान के समय मतदान बूथ पर मतदाताओं की पहचान की जानी अनिवार्य होगी। जिन निर्वाचकों को एपिक उपलब्ध कराए गए हैं उनकी एपिक के माध्यम से पहचान की जाएगी। वर्तमान में, राज्य में एपिक का कवरेज निम्नलिखित अनुसार है:-

राज्य	एपिक की प्रतिशतता
बिहार	100

शेष रह गए सभी निर्वाचकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों में से अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तुरंत प्राप्त कर लें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित न किया जाए, यदि उनका नाम निर्वाचक नामावलियों में शामिल है तो जरूरत पड़ने पर, मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के लिए पृथक अनुदेश जारी किए जाएंगे।

(5) <u>मतदान केन्द्र</u>

निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की तारीख की स्थिति के अनुसार मतदान के लिए निर्दिष्ट राज्य में मतदान केन्द्रों का विवरण निम्नलिखित अनुसार है:

राज्य	मतदान केन्द्रों की संख्या
बिहार	62779

नि:शक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि जहां तक व्यवहार्य हो सके, सभी मतदान केन्द्र भूतल पर स्थित हों और रैम्पों की व्यवस्था हो। किसी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्रों के समूह में हेल्प लाइनों और सुविधा केन्द्रों के माध्यम से निर्वाचकों के नामों का पता लगाने के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी।

(6) <u>मतदान केन्द्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं (बीएमएफ)</u>

आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि प्रत्येक मतदान केन्द्र में आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं (बीएमएफ) जैसे पेय जल, रोड, टायलेट, नि:शक्त मतदाताओं के लिए रैम्प और एक मानक वोटिंग कम्पार्टमेंट आदि की व्यवस्था की जाए।

(7) <u>मतदान दल और यादृच्छिकीकरण</u>

मतदान दलों का, विशेष एप्लीकेशन साफ्टवेयर के माध्यम से, यादृच्छिकीकृत रूप से गठन किया जाएगा। तीन चरणों वाला यादृच्छिकीकरण अपनाया जाएगा। पहले चरण में, पात्र कर्मचारियों के अपेक्षाकृत व्यापक डिस्ट्रिक्ट डाटाबेस से अपेक्षित संख्याओं की न्यूनतम 120% की लघुकृत सूची का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाएगा। इस समूह को मतदान ड्यूटियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे चरण में, इस प्रशिक्षित जनशक्ति से, सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में रैंडम सिलेक्शन साफ्टवेयर के द्वारा यथापेक्षित वास्तविक मतदान दलों का गठन किया जाएगा। तीसरे यादृच्छिकीकरण में मतदान दल के प्रस्थान के ठीक पहले यादृच्छिक रूप से

मतदान केन्द्र आबंटित किए जाएंगे। जो पुलिस कांस्टेबल और होम गार्ड मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर तैनात किए जाते हैं, उनके लिए भी ऐसे ही यादृच्छिकीकरण किया जाएगा।

(8) <u>इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम)</u>

इन राज्यों में सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल करके मतदान करवाया जाएगा। आयोग ने निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यवस्थाएं की हैं। आयोग ने ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच के संबंध में अनुदेशों का एक नया सेट जारी किया है जिसका इन राज्यों में मतदान में इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में की गई है। ईवीएम का दो चरणों में यादृच्छिकीकरण किया जाएगा। पहले चरण में, जिला स्टोरेज सेंटर में स्टोर की गई सभी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम), विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रवार आबंटित किए जाने के लिए, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) द्वारा यादृच्छिकीकृत की जाएंगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत ईवीएम को तैयार किया जाएगा और निर्वाचनों के लिए सेट किया जाएगा। इस चरण में भी, अभ्यर्थियों या उनके एजेंटों/प्रतिनिधियों को ईवीएम की प्रकार्यात्मकता के बारे में हर एक तरीके से जांच करने और अपने आपको संतुष्ट कर लेने की अनुमति दी जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान के लिए किसी निर्वाचन-क्षेत्र में ईवीएम तैयार किए जाने और बैलट यूनिट्स में बैलट पेपर फिट करने के उपरांत ईवीएम को एक बार पुन: यह निर्णय लेने के लिए यादृच्छिकीकृत किया जाएगा कि वास्तव में वे मतदान केन्द्र कौन-कौन से होंगे जिनमें अंततोगत्वा उनका इस्तेमाल किया जाएगा। द्वितीय चरण का यादृच्छिकीकरण प्रेक्षकों, अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन एजेंटों की उपस्थिति में किया जाएगा।

(9) <u>वीवीपीएटी (मतदाता सत्यापनीय पेपर ऑडिट ट्रेल)</u>

वीवीपीएटी का 34 जिलों में फैले 36 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाएगा।

(10) <u>मतपत्र पर अभ्यर्थियों के फोटो</u>

मतपत्र पर अभ्यर्थी के फोटो का प्रदर्शन किया जाएगा। फोटो संबंधित अभ्यर्थियों के प्रतीक के साथ बैलेट यूनिट पर लगाया जाएगा।

(11) <u>ईवीएम में इनमें से कोई नहीं (नोटा) का विकल्प</u>

वर्ष 2004 की रिट याचिका (सिविल) सं. 161 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय, दिनांक 27 सितंबर, 2013 में निदेश दिया है कि मतपत्रों और ईवीएम पर "इनमें से कोई नहीं" (नोटा) का विकल्प होना चाहिए। न्यायालय ने निदेश दिया है कि आयोग को इसे "भारत सरकार की सहायता से या तो चरणबद्ध तरीके से या एक ही बार में क्रियान्वित करना चाहिए"।

बैलेटिंग यूनिट पर आखिरी उम्मीदवार के नाम के नीचे अब नोटा विकल्प के लिए एक बटन होगा ताकि ऐसे निर्वाचक जो किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देना चाहते हैं वे नोटा के सामने बटन दबाकर अपने विकल्प का प्रयोग कर सकें।

आयोग इसे मतदाताओं और अन्य सभी पणधारियों की जानकारी में लाने और नोटा विकल्प के बारे में मतदान कर्मी सहित सभी फील्ड स्तरीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है।

(12) <u>अभ्यर्थियों के शपथ-पत्र - सभी स्तंभ भरे जाने हैं</u>

वर्ष 2008 की रिट याचिका (सिविल) सं. 121 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, दिनांक 13 सितंबर, 2013 के अनुसरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, रिटर्निंग अधिकारी के लिए यह अनिवार्य है कि "वह इस बात की जांच करें कि क्या अपेक्षित सूचना शपथ-पत्र दाखिल करते समय नाम-निर्देशन पत्र के साथ पूरी तरह उपलब्ध करा दी गई है"। आयोग ने निदेश जारी किए हैं कि नाम-निर्देशन पत्र के साथ दाखिल

किए जाने वाले शपथ-पत्र में अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे सभी स्तंभों को भरें। शपथ-पत्र में यदि कोई स्तंभ खाली छोड़ा जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को सभी स्तंभ भरे जाने के साथ शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के उपरांत, अगर अभ्यर्थी सभी दृष्टियों से पूर्ण शपथ-पत्र दाखिल करने में विफल रहता है तो नाम-निर्देशन पत्र संवीक्षा के समय अस्वीकृत किए जाने का भागी बनेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निदेश दिया गया है कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आयोग के अनुदेशों के बारे में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को अवगत कराएं।

(13) <u>संचार योजना</u>

आयोग निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए जिला/निर्वाचन-क्षेत्र स्तर पर एक उपयुक्त संचार योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने और मतदान के दिन समवर्ती हस्तक्षेप और मध्यकालिक संशोधन करने में सक्षम होने को बहुत महत्व देता है। उक्त प्रयोजन के लिए आयोग ने बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निदेश दिया है कि वे राज्य मुख्यालयों में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों बीएसएनएल/एमटीएनएल के प्राधिकारियों, राज्य के अन्य अग्रणी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करें ताकि राज्य में नेटवर्क सिथति का आकलन किया जा सके और संचार शैडो क्षेत्रों की पहचान की जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने राज्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ संचार योजना सुनिश्चित करें।

(14) <u>वीडियोग्राफी</u>

सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में वीडियो और डिजीटल कैमरे और कैमरा टीमों की व्यवस्था करेंगे। वीडियोग्राफी किए जाने वाले आयोजनों में नाम-निर्देशन दाखिल करना, उनकी संवीक्षा करना और प्रतीकों का आबंटन, प्रथम स्तरीय जांच, इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों को तैयार करना और उनका भंडारण, प्रचार-अभियान के दौरान महत्वपूर्ण बैठकें, जुलूस आदि, डाक मतपत्रों के प्रेषण की प्रक्रिया, अभिचिह्नित

संवेदनशील मतदान केन्द्रों में, मतदान प्रक्रिया, मतदान में प्रयुक्त ईवीएम का भंडारण, मतों की गणना आदि शामिल होंगे। जहां कहीं भी जरूरी होगा वहां मतदान बूथों के भीतर वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी और डिजीटल कैमरे लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। जो कोई व्यक्ति वीडियो रिकार्डिंग्स की सीडी हासिल करना चाहते हैं उन्हें भुगतान करने पर उसकी एक कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी।

(15) <u>कानून और व्यवस्था एवं बलों की तैनाती</u>

निर्वाचनों के संचालन में विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन शामिल होता है। इसमें मतदान कर्मियों की सुरक्षा, मतदान केन्द्रों की सुरक्षा, मतदान सामग्रियों की सुरक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा भी सुनिश्चित करना शामिल है। मतदाताओं, विशेषकर अतिसंवेदनशील मतदाताओं जैसे कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यकों आदि के मन में भरोसा कायम करने के लिए मतदान से पहले, क्षेत्र में प्रभुत्व कायम करने के लिए, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती की जाती है। यह सब कुछ ध्यान में रखकर मतदान कार्यक्रम की रूपरेखा और बहुचरणीय निर्वाचनों के अनुक्रमण और प्रत्येक चरण के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों के चयन को, बल की उपलब्धता और बल के प्रबंधन के तर्काधार पर आधारित होना होता है।

आयोग ने ऐसे परिवेश का निर्माण करके निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं जिसमें प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी बाधा या बिना किसी से अनुचित रूप से प्रभावित/भयभीत हुए मतदान केन्द्र तक पहुंच सके।

जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और अन्य राज्यों से ली गई राज्य सश स्त्र पुलिस (एसएपी) इन निर्वाचनों के दौरान तैनात की जाएगी। सीएपीएफ और एसएपी का, सामान्य तौर पर, मतदान केन्द्रों की सुरक्षा करने और मतदान के दिन निर्वाचकों और मतदान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, इन बलों का उन स्ट्राँग रूमों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जहां ईवीएम का भंडारण किया जाता है। इनका मतगणना केन्द्रों की सुरक्षा के लिए और जरूरत पड़ने पर अन्य प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

आयोग कानून और व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने हेतु जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अग्रिम निवारक उपायों के संबंध में समय-समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। आयोग जमीनी स्थिति का सतर्कतापूर्वक सतत अनुवीक्षण करता रहेगा और इन राज्यों में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगा।

(16) <u>अ.जा./अ.ज.जा. निर्वाचकों को सुरक्षा प्रदान करना</u>

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (vii) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीति से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा; वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा। आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे इन उपबंधों को, इन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई किए जाने के लिए, सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

(17) <u>सामान्य प्रेक्षक</u>

आयोग निर्वाचनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सामान्य प्रेक्षकों को तैनात करेगा। प्रेक्षकों से कहा जाएगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पैनी नजर रखेगें। उनके नाम, जिला/निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर पते और उनके टेलीफोन नम्बरों का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि सामान्य जन किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण करने के लिए उनसे शीघ्रतापूर्वक संपर्क कर सकें। प्रेक्षकों को तैनात किए जाने से पूर्व आयोग द्वारा उनकी विस्तारपूर्वक

ब्रीफिंग की जाएगी। आयोग कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस प्रेक्षकों की तैनाती भी कर सकता है।

(18) <u>निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण</u>

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण के प्रयोजनार्थ समेकित अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों, वीडियो निगरानी दलों का गठन किया जाना, आयकर विभाग आदि के अन्वेषण निदेशालयों की सहभागिता लेना आदि शामिल हैं। राज्य उत्पाद-शुल्क विभागों और पुलिस प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मदिरा और अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर नजर रखें।

और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए और निर्वाचन खर्चों के अनुवीक्षण-कार्य की सहुलियत के लिए अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे एक पृथक बैंक खाता खोलें और उस खाता-विशेष से ही अपने निर्वाचन खर्चों को पूरा करें। आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय को कहा गया है कि वे इन राज्यों के हवाई अडडों में हवाई आसूचना इकाई खोलें और आसूचना भी जुटाएं तथा इन राज्यों में भारी मात्रा में धनराशि की आवाजाही के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर पैनी नजर रखने के लिए केन्द्रीय सरकार से व्यय प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 24 घंटे चलने वाले टॉल फ्री नम्बरों के साथ नियंत्रण कक्ष तथा शिकायत अनुवीक्षण केन्द्र काम करेंगे। बैंकों एवं भारत सरकार की वित्तीय आसूचना इकाईयों से कहा गया है कि वे नकदी निकासी की संदेहास्पद रिपोर्टें निर्वाचन अधिकारियों को अग्रेषित करें।

सभी अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल संशोधित फार्मेट (प्रपत्र 26) में अपने शपथ-पत्र दाखिल करें। संशोधित फार्मेट ईसीआई की वेबसाइट पर और रिटर्निंग अधिकारी की हैंडबुक में उपलब्ध है।

(19) <u>पेड न्यूज़</u>

पेड न्यूज़ संबंधी मामले पर कार्रवाई करने के लिए जिला, राज्य तथा ई सी आई स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों (एम सी एम सी) के तीन स्तरों पर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 'पेड न्यूज़' पर संशोधित व्यापक अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

पेड न्यूज़ पर नियंत्रण लगाने के संबंध में जिलों में मीडिया तथा राजनैतिक दलों की ब्रीफिंग सुनिश्चित करने तथा पेड न्यूज प्रक्रिया को नियन्त्रित करने के लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी राज्यों की एम सी एम सी को अपना काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

(20) <u>पुलिस प्रेक्षक</u>

आयोग, आवश्यकता और संवेदनशीलता के आधार पर मतदान होने वाले राज्यों में जिला स्तर पर पुलिस प्रेक्षकों के रूप में आई पी एस अधिकारियों को तैनात कर सकता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए वे बलों की तैनाती, कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित सभी कार्यकलापों का अनुवीक्षण करने के साथ-साथ नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

(21) <u>माइक्रो ऑबज़र्बर्स</u>

चुनिंदा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए, आयोग सामान्य प्रेक्षकों के अतिरिक्त माइक्रो आबज़र्वरों की भी तैनाती करेगा। उनका चयन केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों में से किया जाएगा। माइक्रो आबज़र्वर मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पर छद्म मतदान से लेकर मतदान के पूरे होने तक की प्रक्रियाओं, ई वी एम सील करने की प्रक्रिया और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग के सभी अनुदेशों का मतदान दलों और मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। माइक्रो आबज़र्वर उन्हें आबंटित मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया को बिना प्रभावित किए सीधे ही सामान्य प्रेक्षकों को रिपोर्ट करेंगे।

(22) <u>सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)</u>

राज्य में विशेष नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता शिक्षा हेतु व्यापक उपाय किए गए थे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ये उपाय जारी रहेंगे और इनमें और अभिवृद्धि की जाएगी।

प्रत्येक जिले में न्यूनतम टर्नआउट वाले मतदान केन्द्रों के 10% मतदान केन्द्रों की पहचान कर ली गई है और न्यूनतम टर्नआउट रहने के संभावित कारणों का परिणामों के आधार पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विश्लेशण कर लिया गया है। के ए बी बी पी (ज्ञान, दृष्टिकोण, व्यवहार, विश्वास और पद्धतियां) सर्वे किया गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्वाचन संबंधी सूचना के व्यापक प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करने तथा साथ ही मतदाता शिक्षा अभियान चलाने और मतदान में लोगों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त फैसीलिटेशन उपायों संबंधी निदेश दे दिए गए हैं। 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक में एक आदर्श मतदान केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन, मतदाता सुविधा केन्द्र, वेब और एस एम एस आधारित सर्च सुविधाएं क्रियाशील हैं। मतदान दिवसों को अनुस्मारक सेवाएं प्रदान करने की योजना सतर्कतापूर्वक तैयार की गई है। उन व्यक्तियों, जो कि शारीरिक रूप से निशक्त हैं या जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं रखी गई हैं।

केन्द्र सरकार से जागरूकता प्रेक्षकों को यह देखने के लिए नियुक्त किया जा रहा है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्वाचन अवधि के दौरान चलाए जा रहे स्वीप अभियान के तहत सूचनाएं जन सामान्य तक पहुंचे।

(23) <u>अधिकारियों का आचरण</u>

आयोग निर्वाचनों के संचालन में कार्यरत सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय या पक्षपात के निर्वहन करें। उन्हें आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे। उन सभी सरकारी अधिकारियों का आचरण, जिन्हें निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी और कर्तव्य सौंपे गए हैं, निरंतर आयोग की

संवीक्षा के अधीन रहेगा तथा उन अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी।

आयोग ने इस संबंध में पहले ही अनुदेश दिए हैं कि निर्वाचन संबंधी किसी भी अधिकारी या निरीक्षक या उससे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी को उसके गृह जिले में कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे सभी निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर के पुलिस अधिकारी सहित निर्वाचन संबंधी अधिकारी जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान किसी एक जिले में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनका उस जिले से स्थानांतरण कर देना चाहिए। उप निरीक्षक रैंक के वे पुलिस अधिकारी जिन्होंने किसी सब डिवीजन/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं या अपने गृह सब डिवीजन/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तैनात हैं तो उनका भी उस सब-डिवीजन और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरण कर दिया जाएगा।

आयोग ने राज्य सरकार को यह भी अनुदेश दिए हैं कि वे ऐसे किसी अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल न करें जिसके विरूद्ध किसी मामले में न्यायालय में आरोप लगाए गए हैं।

(24) <u>जिला निर्वाचन योजना</u>

निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को एस. पी. तथा सेक्टर अधिकारियों के परामर्श से रूट योजना और संचार/यातायात योजना सहित व्यापक जिला निर्वाचन योजना तैयार करने को कहा गया है। इन योजनाओं की भारत निर्वाचन आयोग के विधमान अनुदेषों के अनुसरण में, संवेदनशील मतदान केंद्रों का पता लगाकर और अतिसंवेदनशील मानचित्रण पर विचार करते हुए, प्रेक्षकों द्वारा जांच की जाएगी।

(25) <u>आदर्श आचार संहिता</u>

आदर्श आचार संहिता अब से आगे तक के लिए तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता के सभी उपबंध बिहार राज्य के सम्पूर्ण हिस्सों के

साथ-साथ सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और बिहार राज्य सरकार पर लागू होंगे। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के संदर्भ में संघ सरकार पर भी लागू होगी।

आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने विस्तृत व्यवस्थाएं की हैं। इन दिशा-निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन से कड़ाई से निपटा जाएगा और आयोग इस संबंध में पुन: बल देता है कि इस बारे में समय-समय पर जारी अनुदेशों को सभी राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों द्वारा पढ़ा व समझा जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या सूचना के अभाव अथवा समझने/व्याख्या की कमी से बचा जा सके।

(26) <u>फोटो वोटर स्लिप</u>

मतदाताओं को इस संबंध में सुविधा देने के लिए कि वे यह जान सकें कि उन्हें किस मतदान केन्द्र में पंजीकृत किया गया है और निर्वाचक नामावली में उसका/उसकी क्रम संख्या क्या है, आयोग ने ये निदेश दिए हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी पंजीकृत मतदाताओं को फोटोयुक्त वोटर पर्ची (नामावली में जहां कहीं भी हो) वितरित की जाएगी। यह भी निदेश दिए गए हैं कि उक्त वोटर पर्ची उसी भाषा में होगी जिसमें उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली प्रकाशित की गई है।

(27) <u>शिकायत निवारण तंत्र - काल सेंटर तथा वेबसाइट आधारित</u>

बिहार राज्य में काल सेंटर और वेबसाइट पर आधारित शिकायत निवारण तंत्र होगा। काल सेंटर की संख्या 1950 है जोकि टॉलफ्री संख्या है। राज्य के लिए शिकायत पंजीकरण वेबसाइट के यू आर एल की घोषणा मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अलग से की जाएगी। शिकायतें टॉल फ्री काल सेंटर संख्या पर फोन करके या वेबसाइट पर दर्ज कराई जा सकती हैं। सभी शिकायतों पर समय-सीमा के अंदर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ताओं को एस एम एस द्वारा या काल सेंटर द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सूचित किया जाएगा। शिकायतकर्ता, अपनी शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।

(28) <u>निर्वाचन की अनुसूची</u>

आयोग ने सभी संगत पहलुओं यथा जलवायु संबंधी परिस्थिति शैक्षिक कैलेण्डर, त्यौहारों, राज्य में विद्यमान कानून और व्यवस्था की स्थिति, केन्द्रीय पुलिस बलों की उपलब्धता, आवाजाही के लिए अपेक्षित समय, परिवहन तथा बलों की समयोचित तैनाती तथा अन्य बुनियादी वास्तविकताओं पर विचार करते हुए बिहार राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन करवाने के लिए अनुसूचियां तैयार की हैं।

सभी संगत पहलूओं पर विचार करने के पश्चात, आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सम्बद्ध उपबंधों के अधीन बिहार राज्य के साधारण निर्वाचनों हेतु अधिसूचनाएं जारी करने के लिए राज्य के राज्यपाल को संस्तुति करने का निर्णय लिया है। बिहार की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए निर्वाचन अनुसूची अनुबंध '1' पर संलग्न है।

(सुमित मुखर्जी)
सचिव

अनुबंध- 1

अनुसूची

बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन हेतु अनुसूची:

	चरण - 1	**चरण - 2**	**चरण - 3**	**चरण - 4**	**चरण - 5**
अधिसूचना जारी करना	16.09.2015 (बुधवार)	21.09.2015 (सोमवार)	01.10.2015 (गुरुवार)	07.10.2015 (बुधवार)	08.10.2015 (गुरुवार)
नामांकन भरने की अंतिम तिथि	23.09.2015 (बुधवार)	28.09.2015 (सोमवार)	08.10.2015 (गुरुवार)	14.10.2015 (बुधवार)	15.10.2015 (गुरुवार)
संवीक्षा की तिथि	24.09.2015 (गुरुवार)	29.09.2015 (मंगलवार)	09.10.2015 (शुक्रवार)	15.10.2015 (गुरुवार)	17.10.2015 (शनिवार)
अभ्यार्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि	26.09.2015 (शनिवार)	01.10.2015 (गुरुवार)	12.10.2015 (सोमवार)	17.10.2015 (शनिवार)	19.10.2015 (सोमवार)
मतदान की तिथि	12.10.2015 (सोमवार)	16.10.2015 (शुक्रवार)	28.10.2015 (बुधवार)	01.11.2015 (रविवार)	05.11.2015 (गुरुवार)
मतगणना की तिथि	08.11.2015 (रविवार)	08.11.2015 (रविवार)	08.11.2015 (रविवार)	08.11.2015 (रविवार)	08.11.2015 (रविवार)
वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन संपन्न हो जाएगा	12.11.2015 (गुरुवार)	12.11.2015 (गुरुवार)	12.11.2015 (गुरुवार)	12.11.2015 (गुरुवार)	12.11.2015 (गुरुवार)

चरण - 1 में निर्वाचन होने के लिए नियत उनचास (49) विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्रों की सूची:

क्रम संख्या.	चरण - 1	
	जिले का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
	1	2
1	समस्तीपुर	131-कल्याणपुर (अ.जा.)
		132-वारिसनगर
		133-समस्तीपुर
		134-उजियारपुर
		135-मोरवा
		136-सरायरंजन
		137-मोहिउद्दीनगर
		138-विभूतिपुर
		139-रोसड़ा(अ.जा.)
		140-हसनपुर
2	बेगूसराय	141-चेरिया बरियारपुर
		142-बछवाड़ा
		143-तेघड़ा
		144-मटिहानी
		145-साहेबपुर कमाल
		146-बेगूसराय

		147-बखरी(अ.जा.)
3	खगड़िया	148-अलौली(अ.जा.)
		149-खगड़िया
		150-बेलदौर
		151-परबत्ता
4	भागलपुर	152-बिहपुर
		153-गोपालपुर
		154- पीरपैंती(अ.जा.)
		155-कहलगांव
		156-भागलपुर
		157-सुल्तानगंज
		158-नाथनगर
5	बांका	159-अमरपुर
		160-धोरैया(अ.जा.)
		161-बांका
		162-कटोरिया(अ.ज.जा.)
		163-बेलहर
6	मुंगेर	164-तारापुर
		165-मुंगेर
		166-जमालपुर

7	लखीसराय	167-सूर्यगढ़ा
		168-लखीसराय
8	शेखपुरा	169-शेखपुरा
		170-बरबीघा
9	नवादा	235-रजौली(अ.जा.)
		236-हिसुआ
		237-नवादा
		238-गोविन्दपुर
		239-वारिसलीगंज
10	जमुई	240-सिकन्दरा(अ.जा.)
		241-जमुई
		242-झाझा
		243-चकाई

चरण - 2 में निर्वाचन होने के लिए नियत बत्तीस (32) विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्रों की सूची:

क्रम संख्या.	चरण-2	
	जिले का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
	1	2
1	कैमूर (भभुआ)	203-रामगढ़
		204- मोहनिया (अ.जा.)
		205-भभुआ
		206-चैनपुर
2	रोहतास	207-चेनारी(अ.जा.)
		208-सासाराम
		209-करगहर
		210-दिनारा
		211-नोखा
		212-डिहरी
		213-काराकाट
3	अरवल	214-अरवल
		215-कुर्था
4	जहानाबाद	216-जहानाबाद
		217-घोसी
		218-मखदुमपुर(अ.जा.)
5	औरंगाबाद	219-गोह
		220-ओबरा

		221-नवीनगर
		222-कुटुम्बा(अ.जा.)
		223-औरंगाबाद
		224-रफीगंज
6	गया	225-गुरूआ
		226-शेरघाटी
		227-इमामगंज(अ.जा.)
		228-बाराचट्टी(अ.जा.)
		229-बोधगया(अ.जा.)
		230-गया टाउन
		231-टिकारी
		232-बेलागंज
		233- अतरी
		234-वजीरगंज

चरण - 3 में निर्वाचन होने के लिए नियत पचास (50) विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्रों की सूची:

क्रम संख्या	चरण-3	
	जिले का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
	1	2
1	सारण	113-एकमा
		114-मांझी
		115-बनियापुर
		116-तरैया
		117-मढौ़रा
		118-छपरा
		119-गरखा(अ.जा.)
		120-अमनौर
		121-परसा
		122-सोनपुर
2	वैशाली	123-हाजीपुर
		124-लालगंज
		125-वैशाली
		126-महुआ
		127-राजापाकार(अ.जा.)
		128-राघोपुर

		129-महनार
		130-पातेपुर(अ.जा.)
3	नालन्दा	171-अस्थावॉ
		172-बिहारशरीफ
		173- राजगीर(अ.जा.)
		174- इस्लामपुर
		175-हिलसा
		176-नालन्दा
		177-हरनौत
4	पटना	178-मोकामा
		179- बाढ़
		180-बख्तियारपुर
		181-दीघा
		182-बाँकीपुर
		183-कुम्हरार
		184-पटना साहिब
		185-फतुहा
		186-दानापुर
		187-मनेर
		188-फुलवारी(अ.जा.)

		189-मसौढ़ी(अ.जा.)
		190-पालीगंज
		191-बिक्रम
5	भोजपुर	192-संदेश
		193-बड़हरा
		194-आरा
		195-अगिआँव (अ.जा.)
		196-तरारी
		197-जगदीशपुर
		198-शाहपुर
6	बक्सर	199-ब्रहमपुर
		200-बक्सर
		201- डुमराँव
		202- राजपुर(अ.जा.)

चरण - 4 में निर्वाचन होने के लिए नियत पचपन (55) विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्रों की सूची:

क्रम संख्या	चरण- 4	
	जिले का नाम	**विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम**
	1	2
1	पश्चिम चम्पारण	1- वाल्मीकिनगर
		2- रामनगर(अ.जा.)
		3-नरकटियागंज
		4-बगहा
		5-लौरिया
		6-नौतन
		7-चनपटिया
		8-बेतिया
		9-सिकटा
2	पूर्वी चम्पारण	10-रक्सौल
		11-सुगौली
		12- नरकटिया
		13- हरसिद्धि(अ.जा.)
		14-गोविन्दगंज
		15-केसरिया

		16-कल्याणपुर
		17-पिपरा
		18-मधुबन
		19-मोतिहारी
		20-चिरैया
		21-ढाका
3	शिवहर	22-शिवहर
4	सीतामढ़ी	23-रीगा
		24-बथनाहा (अ.जा.)
		25-परिहार
		26-सुरसंड
		27-बाजपट्टी
		28-सीतामढ़ी
		29- रून्नीसैदपुर
		30-बेलसंड
5	मुजफ्फरपुर	88- गायघाट
		89-औराई
		90- मीनापुर
		91- बोचहाँ(अ.जा.)
		92-सकरा(अ.जा.)

		93- कुढ़नी
		94-मुजफ्फरपुर
		95-काँटी
		96-बरूराज
		97-पारू
		98-साहेबगंज
6	गोपालगंज	99-बैकुण्ठपुर
		100-बरौली
		101- गोपालगंज
		102- कुचायकोट
		103-भोरे (अ.जा.)
		104- हथुआ
7	सिवान	105-सिवान
		106-जीरादेई
		107-दरौली(अ.जा.)
		108-रघुनाथपुर
		109- दरौंदा
		110-बड़हरिया
		111-गोरेयाकोठी
		112-महाराजगंज

चरण - 5 में निर्वाचन होने के लिए नियत सतावन (57) विधान सभा निर्वाचन - क्षेत्रों की सूची:

क्रम संख्या	चरण-5	
	जिले का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
	1	2
1	मधुबनी	31-हरलाखी
		32-बेनीपट्टी
		33- खजौली
		34-बाबूबरही
		35- बिस्फी
		36- मधुबनी
		37- राजनगर(अ.जा.)
		38-झंझारपुर
		39- फुलपरास
		40- लौकहा
2	सुपौल	41- निर्मली
		42-पिपरा
		43-सुपौल
		44-त्रिवेणीगंज(अ.जा.)
		45- छातापुर
3	अररिया	46- नरपतगंज

		47- रानीगंज(अ.जा.)
		48-फारबिसगंज
		49-अररिया
		50-जोकीहाट
		51-सिकटी
4	किशनगंज	52-बहादुरगंज
		53-ठाकुरगंज
		54- किशनगंज
		55- कोचाधामन
5	पूर्णिया	56-अमौर
		57- बायसी
		58-कसबा
		59- बनमनखी(अ.जा.)
		60- रूपौली
		61- धमदाहा
		62- पूर्णियाँ
6	कटिहार	63- कटिहार
		64- कदवा
		65- बलरामपुर
		66- प्राणपुर

		67- मनिहारी(अ.ज.जा.)
		68- बरारी
		69- कोढ़ा(अ.जा.)
7	मधेपुरा	70- आलमनगर
		71-बिहारीगंज
		72-सिंहेश्वर(अ.जा.)
		73-मधेपुरा
8	सहरसा	74-सोनवर्षा(अ.जा.)
		75- सहरसा
		76- सिमरी बख्तियारपुर
		77-महिषी
9	दरभंगा	78- कुशेश्वरस्थान (अ.जा.)
		79- गौड़ाबौराम
		80-बेनीपुर
		81-अलीनगर
		82-दरभंगा ग्रामीण
		83- दरभंगा
		84- हायाघाट
		85- बहादुरपुर
		86- केवटी
		87-जाले

****